

प्रेषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
जौनपुर।

सेवा में,

सम्बन्ध,
सेन्ट प्रैक्टिक प्राथमिक विद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक/पे0-2/मान्यता/ 3629-35 /2004-05 दिनांक 28.8.2004
विषय:- प्राथमिक विद्यालय की अस्थायी/स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में उपरोक्त जिला शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक शिक्षा अधिकारी/प्रोडो विनि/नगर शिक्षा अधिकारी, जौनपुर की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक की अस्थायी/स्थायी मान्यता आदेश निर्गत की जायेगी। निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जायेगी।

- 1- समुचित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाये।
- 2- अध्यापकों/कर्मचारियों को वैसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों के अनुसार वेतनमान दिया जाये।
- 3- स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जायें।
- 4- विभागीय नियमों/निर्देशों का पालन किया जाये।
- 5- वैसिक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार तथा उसमें प्राविधानित योग्यताधारी अध्यापक नियुक्त किये जायें।
- 6- वेतन मान्यता प्राप्त विद्यालय अध्यापकों की सेवा शर्तें नियमावली 1975 के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति आदि की जाय तथा नियमों का पूर्ण पालन किया जाये।
- 7- विद्यालय के पास निजी भूमि/भवन मानक के अनुसार हो।
- 8- विद्यालय से सम्बन्धित सभी भूमि विद्यालय के नाम होना आवश्यक है।

यदि आगामी सत्र में उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए सभी पूर्ण प्रतिबन्धों की पूर्ति नहीं की जाती है और इसकी आख्या इस कार्यालय में प्रमाण सहित प्रस्तुत नहीं की जाती है, तथा किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने पर या विभागीय आदेशों का पालन न करने पर प्रदत्त मान्यता किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

प्रोडो/पे0-2/मान्यता/

/2004-05 तद्दिनांकित-

प्रतिबन्धित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उपाय वैसिक शिक्षा परिषद, जौनपुर।
- 2- उप जिला शिक्षा अधिकारी, जौनपुर।
- 3- सम्बन्धित सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जौनपुर।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर।
- 5- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जौनपुर।
- 6- जिला अधिसूचक कल्याण अधिकारी, जौनपुर।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

प्रेषक,

शिक्षा उप निदेशक
मैम मंडल- वाराणसी ।

सेवा में,

मुख्य शिक्षक
सेण्ट मैट्रिक जूहाट स्कूल
जौनपुर ।

07/06/1985

पत्रांक शिक्षा विवर 32466-85-86

दिनांक 07/06/85

विषय- सेण्ट मैट्रिक जूहाट स्कूल जौनपुर को स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

=0=

महोदय,

जिला स्तरीय मान्यता समिति की संस्तुति के आधार पर सेण्ट मैट्रिक जूहाट स्कूल जौनपुर को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से जूनियर हाईस्कूल की स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है ।

2- विद्यालय में अनाधिकृत कक्षाओं की स्थिति में तथा विभाग के आदेशों एवं नियमों को किसी प्रकार की अवहेलना करने पर विद्यालय की मान्यता समाप्त करने का अधिकार विभाग को सुरक्षित है ।

भवदीय

महानन्द मिश्र
शिक्षा उप निदेशक
मैम मंडल- वाराणसी ।

NDG NO = 3576-96

मुख्य शिक्षा विवर 32466-85-86 उमी तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर ।
- 2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर ।
- 3- उच्च विद्यालय निरीक्षक जौनपुर ।
- 4- जिला हेरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर ।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र०इलाहाबाद ।
- 6- रजिस्ट्रार, विभागीय निरीक्षक, उ०प्र०इलाहाबाद ।
- 7- अग्र शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र०इलाहाबाद ।
- 8- समस्त मण्डलीय उच्च शिक्षा निदेशक उ०प्र० ।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उ०प्र० ।
- 10- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ०प्र० ।
- 11- समस्त उच्च विद्यालय निरीक्षक उ०प्र० ।

महानन्द मिश्र
शिक्षा उप निदेशक
मैम मंडल- वाराणसी ।